XIV-Form No. 563.

आदेश की क्रम संख्या एवं तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
	2	3

न्यायालय, समाहर्त्ता, पूर्णियाँ

नामान्तरण पुनरीक्षण वाद संख्या–18/2010

मो0 सईदूर रहमान, पिता–स्व0 सरफुउद्दीन, साकिन–बायसी टोला, थाना–बायसी, जिला–पूर्णियाँ.....
आवेदक

बनाम्

1. मो0 खलील
2. अब्दुल जलील
3. मो0 सहवान
4. मो0 साह आलम

सभी का पिता–स्व0 मो0 ग्यासउद्दीन, साकिन–बैती टोला, थाना–बायसी, जिला–पूर्णियाँ

.....
विपक्षी संख्या–1

5. अंचलाधिकारी, बायसी.....
विपक्षी संख्या–2

आदेश

आवेदक भूमि सुधार उप–समाहर्त्ता, बायसी द्वारा नामान्तरण वाद संख्या–4/2009 मे दिनांक 05.01.2010 को पारित आदेश के विरूद्ध यह वाद प्रारम्भ किया है। आवेदक शेख भोकारू, पिता–सैरूउद्दीन से दिनांक 12.07.2007 को रजिस्टर्ड केवाला द्वारा मौजा–पीपलगाछी, खाता संख्या–69, खेसरा संख्या–309, 308, 334 एवं 335, रकवा–11 डिसमिल जमीन कायमी हक खरीद कर अंचलाधिकारी, बायसी को नामान्तरण हेतु आवेदन दिया, जिसका नामान्तरण वाद संख्या–63/2007–08 है। आवेदक ने जमीन मालिक से कायमी हक खरीदा था और सिकमीदार आवेदक के पिता स्व0 सरफुउद्दीन थे। अंचलाधिकारी जमीन मालिक को सूचना देने के उपरान्त एवं आवेदक के दखल के आधार पर नामान्तरण आदेश पारित किये। प्रश्नगत जमीन पर पूर्व से ही आवेदक के पिता घर बनाकर रह रहे थे और वर्तमान में आवेदक का घर बना हुआ है। अंचलाधिकारी के उक्त नामान्तरण आदेश के विरूद्ध विपक्षी संख्या–1 भूमि सुधार उप–समाहर्त्ता, बायसी के न्यायालय में नामान्तरण अपील वाद संख्या–4/2009 दायर किये। निम्न न्यायालय में वास्तविक तथ्यों को नजर अन्दाज कर अंचलाधिकारी द्वारा पारित आदेश को रद्द कर दिया गया, जो नियम के विरूद्ध है। अतः आवेदक वाद की सुनवाई इस न्यायालय में करने हेतु यह पुनरीक्षण वाद दायर किया गया है।

विपक्षी का कथन है कि आवेदक द्वारा प्रारम्भ किया गया यह वाद निर्वहन योग्य नहीं है। भूमि सुधार उप–समाहर्त्ता द्वारा पारित आदेश नियम के अनुकूल है। इस पुनरीक्षण वाद में सरकार की ओर से अंचलाधिकारी को पक्षकार बनाया गया है, जबकि यह वाद भूमि सुधार उप–समाहर्त्ता के आदेश के विरूद्ध प्रारम्भ किया गया है। विपक्षी जमीन मालिक शेख भुकारू एवं शेख सुखारू से दिनांक 04.06.2004 को रजिस्टर्ड केवाला द्वारा प्रश्नगत जमीन खरीद कर दखलकार हुए। जबकि आवेदक दिनांक 12.07.2007 को एक ही जमाबन्दी रैयत शेख भुकारू से जमीन केवाला करवाया और हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक को मेल में

XIV-Form No. 563.

आदेश की कम संख्या एवं तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3

लेकर नामान्तरण गलत तरीके से करवा लिया। अतः निम्न न्यायालय द्वारा सभी तथ्यों एवं दखल के आधार पर अंचलाधिकारी के नामान्तरण आदेश को रद्द किया गया। अतः विपक्षी निवेदन करत है कि आवेदक के द्वारा प्रारम्भ किये गये इस वाद को खारिज करने की कृपा की जाय।

पूर्व निर्धारित तिथि दिनांक 03.02.2012 को सुनवाई की गयी। आवेदक अनुपस्थित थे। अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि पूर्व से लगातार आवेदक कई तिथियों में अनुपस्थित रहे है। दिनांक 21.06.2010, 02.08.2010, 06.05.2011 एवं 07.10.2011 को भी आवेदक अनुपस्थित पाये गये। इस कारण से दिनांक 02.08.2010 एवं 14.10.2011 को न्यायालय में उपस्थित रहकर वाद के निष्पादन में सहयोग प्रदान करने का स्पष्ट आदेश न्यायालय द्वारा दिया गया, उसके बाबजूद भी हाजरी देने के बाद भी आवेदक अनुपस्थित रहे। विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता को सुना गया। उनके द्वारा अपने लिखित बयान में वर्णित बातों को दोहराते हुए आवेदक की लगातार अनुपस्थिति पर भी बल देते हुए आवेदन को खारिज करने की मांग किया गया।

उपरोक्त तथ्यों, अभिलेख में उपलब्ध कागजातों के अवलोकन एवं सुनवाई के बाद स्पष्ट होता है कि निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधि सम्मत है। इसमें किसी तरह की हस्तक्षेत्र करने की आवश्यकता नहीं है। इस निर्णय के साथ इस वाद को समाप्त किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित।

08/2/12

समाहर्त्ता, पूर्णियाँ

08/2/12

समाहर्त्ता, पूर्णियाँ